Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi

F.No NCST-15012(MSTL)/4/2021-RU-II (SSW)

Dated:- 12.10.2021

To,

The Chairman,
Steel Authority of India Ltd.,
Lodhi Road, New Delhi- 110003

Sub:- Minutes of the Sitting held on 08.09.2021 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, NCST, New Delhi on representation dated 08.07.2021 received from Shri Ram Khiladi Meena regarding harassment.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, and New Delhi 110003 on 08.09.2021 at 11.00 A.M on the above mentioned subject for necessary action. Action Taken Report may please be furnished to the Commission within 30 days of the receipt of this letter.

Yours faithfully,

Encl:- as above

12/10/21

(Dr. Lalit Latta)
Director
Tel: 011-24615012

Copy for information:-

1. Shri Ram Khiladi Meena, (Operator/Tech), Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City, Jharkhand - 827004
2. SAS, NIC for uploading on the website of the Commission.

/2021/SSW

No. NCST-15012(MSTL)/4/2021-RU-II

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

*****

बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक श्री प्रभाकर व अन्य के द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ जातीय अत्याचार, नौकरी से निलंबित करने के सम्बन्ध में श्री रामखिलाड़ी मीना, आपरेटर/टेक , कार्मिक विभाग, बोकारो स्टील सिटी, झारखण्ड, के अभ्यावेदन दिनांक 08.07.2021 पर श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, एनसीएसटी, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2021 को सीटिंग पूर्वाहन 11:00 बजे हुई । सीटिंग का कार्यवृत्त ।

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ है ।

1. माननीय सदस्य ने अभ्यावेदक से अपनी शिकायत के बारे में पूछा जिस पर अभ्यावेदक ने आयोग को बताया कि बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक श्री प्रभाकर व अन्य के द्वारा मुझे जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया, मर्डर करने की धमकी दी तथा डॉ. अंबेडकर साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपमानित किया | आवेदक ने यह भी कहा है कि जब उसने विभाग कि उक्त गतिविधियों का विरोध किया तो दिनांक 24.06.2021 को उसके साथ महाप्रबंधक के द्वारा मारपीट भी कि गयी जिसके कारण उसकी पीठ तथा रीढ़ कि हड्डी में चोटें आई थी तथा उनको निलंबित भी कर दिया गया है | आवेदक ने उसके साथ हुई मारपीट कि घटना पर भावावेश होकर रोते हुये कहा कि महाप्रबंधक द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार का वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसको वह सबूत के तौर पर आयोग के सामने प्रस्तुत कर सकता है | आवेदक ने यह भी बताया की उसने इस घटना की पुलिस में शिकायत दर्ज करा रखी है किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है | आवेदक ने आयोग से अनुरोध किया है कि उन्हें नौकरी में बहाल कराया जाए तथा दोषियो के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करके उन्हें दण्डित किया जाए|

2. मामले में माननीय सदस्य ने संबन्धित प्राधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जिस पर संबन्धित प्राधिकारी ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया कि श्री रामखिलाड़ी मीना ने महाप्रबंधक के साथ दिनांक 24.06.2021 को मारपीट की है | इनके द्वारा महाप्रबंधक एवं अन्य के खिलाफ लगाए गए जातिगत भेदभाव के आरोप बेबुनियाद है | श्री रामखिलाड़ी मीना द्वारा कि गयी मारपीट के संबंध में जांच हेतु एक तथ्य-जाँच समिति बना दी है तथा जांच प्रक्रिया में 2 मीटिंग हो चुकी है तथा जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी | फिलहाल प्रबंधन द्वारा श्री

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

रामखिलाड़ी मीना को दिनांक 24.06.2021 से सेवा से निलंबित कर दिया गया है | संबन्धित प्राधिकारी ने बताया कि उनके पास श्री रामखिलाड़ी मीना द्वारा किए गए दुर्व्यवहार कि वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसको आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है | संबन्धित प्राधिकारी ने आयोग को आश्वस्त किया कि श्री रामखिलाड़ी मीना के खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया निष्पक्षतापूर्वक की जायेगी |

3. दोनों पक्षो को सुनने के बाद माननीय सदस्य ने निम्नलिखित संस्तुति /सलाह प्रदान की -

(क) श्री रामखिलाड़ी मीना के खिलाफ कि जा रही जांच कार्रवाई में उनको अपना पक्ष रखने के पूरे अवसर दिये जाए।

(ख) प्रबंधन द्वारा की जा रही जांच प्रक्रिया में आवेदक को सहयोग देने की सलाह दी जाती है |

(ग) उपरोक्त घटना से सम्बंधित समस्त साक्ष्य जो प्रबंधन तथा आवेदक के पास है उन्हें आयोग के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए |

(घ) आवेदक अनुसूचित जनजाति से है इसलिए निलंबन की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा मानवीयता तथा आवेदक के परिवार को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए ताकि आवेदक के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण किया जा सके |

मामले में की गयी कार्रवाई / अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह की अवधी में प्रेषित की जाए |

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

F. No. NCST-15012(MSTL)/4/2021-RU-II (SSW) **Date: 08/09/2021**

At 11:00 A.M.

विषय : बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक के द्वारा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी के साथ जातीय अत्यचार, नौकरी से डिसमिस, मर्डर की धमकी देने तथा डॉ. अंबेडकर साहब को गली गलौच के सम्बन्ध में | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सभीदोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में |

Attendance Sheet

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Ananta Nayak Hon'ble Member	In Chair	
2.	Smt. Alka Tiwari, Secretary		—
3.	Shri K. Touthang, Joint Secretary		—
4.	Dr. Lalit Latta, Director		
5.	Shri H.R. Meena, Senior Investigator		
6.	Shri Hrishikesh Jha, Legal Consultant		
7.	Shri Aditya Sharma Legal Consultant		
8.			
II	**Steel Authority of India Limited**		
1.	Smt Soma Mondal, Chairman,		—
2.	SAMIR SWARUP EXECUTIVE DIRECTOR (P&A), B.S.L	ED(P&A) BOKARO STEEL PLANT BOKARO 8920058453	
3.	Bikram Keshari Borthakur GM (Pers) & L.O. Forecast Jitendra Kumar GM (Pers), Corporate Office	GM (Pers) & L.O. Forecast Bokaro Steel Plant 9568605858	
IV		**Petitioner**	
1.	Shri Ramkhiladi Meena	Ramkhiladi Meena 9470516901	
2.			